अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

मूल कंवर बनाम **बजरंग आदि**

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 29/2014 **निर्णय दिनांक– 24.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 113/1 रकबा 15.28 हैक्टेयर वाके ग्राम कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. मूलकंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत सा.देह राहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लित्र शाखा लक्ष्मणगढ़	113/1 मि.	1.27 हैक्टेयर	गै.मु. 0.04 बारानी 2 1.23	– 3.77
2. समुद्रसिंह पुत्र जससिंह रकबा 7.64 है. बजरंगसिंह मनोहरसिंह रेवतसिंह नारायणसिंह पि.छोटूसिंह छोटकंवर पत्नि छोटूसिंह रकबा 6.37 है. हि.ब. जाति राजपूत सा.देह राहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन (समुद्रसिंह पुत्र जससिंह फौत जिसके वारिस क्रमशः मेघसिंह, भानसिंह पि. समुद्रसिंह, सुप्यारकंवर, किरण कंवर पुत्रियां समुद्रसिंह)	113/1 मि.	14.01 हैक्टेयर	गै.मु. 0.13 बारानी 3 11.18 बारानी 2 2.70	– 24.26 8.28

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव में क्रम सं. 2 में अंकित समुद्रसिंह पुत्र जससिंह फौत हो चुके है। उक्त विभाजन में समुद्रसिंह पुत्र जससिंह के हिस्से में आयी भूमि भाग में समुद्रसिंह पुत्र जससिंह के वर्णित विधिक वारिसान के नाम हिस्सा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2018 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प काछवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही प्रकरण में वादीया स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का हिस्सा 1.27 हैक्टेयर बनता है उसका राजस्थान काश्तकारी नियमों के तहत सर्वप्रथम मौके पर सीमांकन का आदेश फरमाया जाये तथा तदनुसार विभाजन के लिए आवश्यक आदेश फरमाने की कुपा करें। वादीया स्वयं व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4,6 व 7 स्वयं उपस्थित होकर मुताबिक तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/रा.लो.अ./2018/20 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 113/1 रकबा 15.28 हैक्टेयर वाके ग्राम कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. मूलकंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत सा.देह राहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लित्र शाखा लक्ष्मणगढ़	113/1 मि.	1.27 हैक्टेयर
2. समुद्रसिंह पुत्र जससिंह रकबा 7.64 है. बजरंगसिंह मनोहरसिंह रेवतसिंह नारायणसिंह पि.छोटूसिंह छोटकंवर पत्नि छोटूसिंह रकबा 6.37 है. हि.ब. जाति राजपूत सा.देह राहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन (समुद्रसिंह पुत्र जससिंह फौत जिसके वारिस क्रमशः मेघसिंह, भानसिंह पि. समुद्रसिंह, सुप्यारकंवर, किरण कंवर पुत्रियां समुद्रसिंह)	113/1 मि.	14.01 हैक्टेयर

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव में क्रम सं. 2 में अंकित समुद्रसिंह पुत्र जससिंह फौत हो चुके है। उक्त विभाजन में समुद्रसिंह पुत्र जससिंह के हिस्से में आयी भूमि भाग में समुद्रसिंह पुत्र जससिंह के वर्णित विधिक वारिसान के नाम हिस्सा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official